

अपील प्राधिकारी के समक्ष
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत)
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अपील सं. 20__ की ____

श्री	:	अपीलार्थी
	बनाम	
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,	:	प्रत्यर्थी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड,		
मुंबई		

आदेश

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तारीख 3 सितम्बर, 2019 का एक आवेदन (प्रत्यर्थी को 9 सितम्बर, 2019 को प्राप्त) दाखिल किया था। प्रत्यर्थी ने, तारीख 30 सितम्बर, 2019 के पत्र के माध्यम से, अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए आवेदन का उत्तर दे दिया था। अपीलार्थी ने तारीख 30 सितम्बर, 2019 के उक्त उत्तर के खिलाफ तारीख 30 अक्टूबर, 2019 की एक अपील (अपील प्राधिकारी के कार्यालय में 4 नवम्बर, 2019 को प्राप्त) दाखिल की है। मैंने आवेदन, उत्तर तथा अपील पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है और मेरा यह निष्कर्ष है कि मामले का फैसला रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जा सकता है।
2. अपील से, मैंने यह नोट किया है कि अपीलार्थी अपने आवेदन के प्रति प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तर से असंतुष्ट है।
3. आवेदन के अंतर्गत उल्लिखित प्रश्न – अपीलार्थी ने, अपने तारीख 3 सितम्बर, 2019 के आवेदन के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्रा. लि. (Safe & Secure Online Marketing Pvt. Ltd.) के संबंध में निम्नलिखित सूचना माँगी थी:
 1. इस कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियाँ SEBI के संज्ञान में हैं या नहीं, कृपया स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवायें।
 2. इस कंपनी को प्रत्यक्ष विक्रेता (Direct Seller) के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री (Direct Selling) का कारोबार करने के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है या नहीं, कृपया स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवायें।

3. कृपया यह जानकारी उपलब्ध करवायें कि पिरामिड मार्केटिंग की स्कीम (जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने नीचे दो लोगों को जोड़ना पड़ता है) हमारे देश में वैध है या अवैध है ।
 4. इस कंपनी को पिरामिड मार्केटिंग (जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने नीचे दो लोगों को जोड़ना पड़ता है) चलाने का कोई भी प्रमाण पत्र या सहमति पत्र भारत सरकार की तरफ से प्रदान किया गया है या नहीं, कृपया स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवायें ।”
4. प्रत्यर्थी ने, प्रश्न सं. 1 के उत्तर में, यह सूचित किया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मैसर्स सेफ एंड सिक्क्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्रा. लि. (M/s Safe and Secure Online Marketing Pvt. Ltd.) के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी की गतिविधियाँ (एक्टिविटीज़) बहुस्तरीय (मल्टी लेवल) मार्केटिंग जैसी हैं । इसके अलावा, यह भी सूचित कर दिया गया था कि चूँकि बहुस्तरीय (मल्टी लेवल) मार्केटिंग संबंधी गतिविधियाँ (एक्टिविटीज़) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 [प्राइज़ चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट, 1978] के तहत आती हैं और यह अधिनियम राज्य सरकार के दायरे में आता है, इसीलिए यह शिकायत दिल्ली की राज्य सरकार के पास भिजवा दी गई थी । प्रश्न सं. 2 के उत्तर में, यह सूचित किया गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा कोई भी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है । प्रश्न सं. 3 के संबंध में, प्रत्यर्थी ने यह उल्लेख किया था कि इस प्रश्न के अंतर्गत माँगी गई सूचना स्पष्टीकरण / राय (मत) माँगे जाने जैसी है, और तदनुसार उसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के तहत यथा परिभाषित “सूचना” नहीं माना जा सकता । प्रश्न सं. 4 के उत्तर में, प्रत्यर्थी ने यह सूचित किया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है ।
5. अपील का आधार - अपीलार्थी ने इस आधार पर अपील दाखिल की है कि उन्हें उनके प्रश्नों के संबंध में स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ।
6. प्रश्न सं. 1 - मैंने यह नोट किया है कि प्रत्यर्थी ने यह सूचित किया था कि मैसर्स सेफ एंड सिक्क्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्रा. लि. (M/s Safe and Secure Online Marketing Pvt. Ltd.) से संबंधित शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी की गतिविधियाँ (एक्टिविटीज़) बहुस्तरीय (मल्टी लेवल) मार्केटिंग जैसी हैं । मैंने यह पाया है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(सेबी) के पास उपलब्ध सूचना प्रदान करके अपीलार्थी के प्रश्न का सही उत्तर दे दिया था । तदनुसार, उत्तर में कोई कमी नज़र नहीं आती ।

7. प्रश्न सं. 2 – इस प्रश्न का अवलोकन करने पर, मैंने यह पाया है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से यह सूचित करके प्रश्न का सही उत्तर दे दिया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है । तदनुसार, मुझे उत्तर में कोई कमी नज़र नहीं आती ।
8. प्रश्न सं. 3 – मैं प्रत्यर्थी की इस बात से सहमत हूँ कि इस प्रश्न के माध्यम से माँगी गई सूचना प्रत्यर्थी से राय (मत) आदि माँगे जाने जैसी है, और तदनुसार उसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के तहत यथा परिभाषित सूचना नहीं माना जा सकता । परिणामस्वरूप, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम आदित्य बंधोपाध्याय एवं अन्य (तारीख 9 अगस्त, 2011 का निर्णय) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनज़र, प्रत्यर्थी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ऐसा स्पष्टीकरण या ऐसी राय (मत) प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं था । तदनुसार, मुझे उत्तर में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नज़र नहीं आता ।
9. प्रश्न सं. 4 – मुझे प्रत्यर्थी के इस अभिमत पर अविश्वास करने का कोई कारण नज़र नहीं आता कि माँगी गई सूचना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास उपलब्ध नहीं है । इस संबंध में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम आदित्य बंधोपाध्याय एवं अन्य (तारीख 9 अगस्त, 2011 का निर्णय) के मामले में, कुछ इस प्रकार उल्लेख किया था कि : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उन सभी सूचनाओं तक पहुँच उपलब्ध कराता है, जो उपलब्ध और मौजूद हों । इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 2 के खंड (च) तथा (ज) के तहत 'सूचना' तथा 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाओं को एक साथ पढ़ने से तो यह स्पष्ट हो ही जाता है । यदि किसी लोक प्राधिकारी के पास आँकड़ों (डाटा), या विश्लेषित आँकड़ों, या सार, या सांख्यिकी के रूप में कोई सूचना हो, तो आवेदक ऐसी सूचना भी अधिनियम की धारा 8 में दी गई छूटों के अध्यधीन, माँग सकता है । किंतु जहाँ माँगी गई सूचना लोक प्राधिकारी के रिकॉर्ड का हिस्सा न हो, और जहाँ ऐसी सूचना किसी कानून या लोक प्राधिकारी के नियमों या विनियमों के तहत रखी जानी अपेक्षित न हो, तो वहाँ इस अधिनियम के अनुसार लोक प्राधिकारी पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करके या फिर सभी जगह से सूचना को एकत्र करके आवेदक को उपलब्ध कराए । तदनुसार, प्रत्यर्थी अपीलार्थी को ऐसी अनुपलब्ध सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं था ।

10. उपरोक्त अभिमतों के मद्देनज़र, मुझे उत्तर में कोई कमी नज़र नहीं आती । तदनुसार, अपील खारिज की जाती है ।

आनंद बायवार

अपील प्राधिकारी (सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005 के तहत)
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

स्थान : मुंबई

तारीख :